

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पेज संख्या
1	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संवाहन, ए.एन.एम. के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व तथा आउटरीच कैम्पों के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश	1-76
2	ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु दिशा-निर्देश	77-118
3	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संवाहित विभिन्न गतिविधियाँ हेतु वित्तीय दिशा-निर्देश	119-214
4	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश	215-226
5	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 द्वारा होर्डिंग, फ्लैक्स एवं वालराइटिंग आदि कार्यों के लिये जारी दिशा-निर्देश	227-238
6	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार गतिविधियों के प्रोटोकॉल	239-246

प्रश्नक,

महानिदेशक,
परिचर कल्याण महानिदेशालय

महोदय

भारत मुख्य विकिपिडिया अधिकारी

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 10030 / एनएनएचएम / रिशा-निर्देश / 2015-16 / 16732-35
दिनांक: अक्टूबर, 2015
विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन, एएनआरएच के कार्या एवं उत्तरदायित्व तथा आउटरीच कैम्पों के आयोजन हेतु रिशा-निर्देश के संबंध में।
महोदय,

आप अवगत ही है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना स्वीकृत प्रदान की गयी है। भारत सरकार के रिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन, एएनएचएम के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व तथा आउटरीच कैम्पों के आयोजन हेतु विस्तृत रिशा-निर्देश तैयार कर आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

नगरीय प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालनार्थ रिशा-निर्देश

जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 4.44 करोड़ जनता निवास करती है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को गुणवत्तापरक एवं नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के इम्प्लीमेंटेशन फ़ैमर्क के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले समस्त शहरों / कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जा रहा है तथा 50,000 से कम शहरी जनसंख्या वाले शहरों / कस्बों को एन.आर.एच. एम. के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है। इसके अनुसार प्रदेश के 181 शहरों / कस्बों में प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 5,00,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले शहरों में प्रत्येक 2,50,000 की शहरी आबादी पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अर्थात् एक प्रदेश में कुल 558 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें स्टेट वजत से संचालित 147 सरकारी शहरी स्वास्थ्य इकाइयों तथा एनआरएचएम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अवशेष हेल्थ पोस्ट एवं 180 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समाहित हैं।

प्रत्येक 10,000 की शहरी जनसंख्या पर 01 एएनआरएचएम की स्थापना पर तैनाती की जा रही है तथा महिन वरिस्तयों के प्रत्येक 200-500 घरों पर 01 अरबन आशा का चयन तथा 50-100 घरों पर एक महिला अरबन स्थापित का गठन किया जायेगा।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन हेतु शासनाय रिशा-निर्देश

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल 558 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सापेक्ष कुल 555 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किये जा रहे हैं तथा 03 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति भारत सरकार के स्तर पर विचारार्थीन है। इन 555 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टेट वजत से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों एनआरएचएम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है, 177 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में जो नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों सरकारी नवनों में संचालित हैं, उनका रि-निवेशन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है तथा कुछ ऐसी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों जो कि सरकारी, ट्रस्ट या किराये के भवनों में संचालित है एवं उनमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान

नहीं है, ऐसी इकाइयों को भी अन्य नवनों में स्थानांतरित कर (सरकारी या किराये) संचालित किया जाना है। जनपदों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 93 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी नवनों में तथा 462 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराये के नवनों में संचालित हैं। 555 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या फ्रीट निम्नवत् है-

S.No.	Name of Districts	Name of City	Total UPHCs approved upto 2014-15		Urban Health Posts upgraded as UPHCs		New UPHCs			Govt./Rented UPHCs	
			Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved in 2013-14	New UPHCs approved in 2014-15	Total New UPHCs	No of Govt. Building	No of Rented Building		
1	Agro	Agro	30	15	9	9	6	0	6	7	23
2	Idanpaur	Manpaur	3	0	3	3	0	0	0	1	2
		Mathura	6	0	4	1	1	2	0	6	1
3	Mathura	Virindavan	1	0	0	0	1	1	1	0	1
		Kosi Kalan	1	0	0	0	2	1	3	2	7
4	Firozabad	Firozabad	9	2	4	2	1	1	2	0	2
		Shikohabad	2	0	0	1	1	1	2	0	2
		Tundla	1	0	0	0	1	1	1	0	1
5	Aligarh	Aligarh	17	7	7	3	0	3	2	15	1
		Atrauli	1	0	0	1	1	1	1	0	2
6	Etah	Etah	2	0	1	1	0	1	0	2	2
7	Kasganj	Kasganj	2	0	1	1	1	0	1	0	2
8	Hathras	Hathras	3	0	1	1	0	1	1	1	1
9	Fatehpur	Fatehpur	3	0	1	1	1	2	0	3	1
10	Allahabad	Allahabad	22	11	7	4	0	4	7	15	4
11	Pratapgarh	Bela Pratapgarh	1	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Kaushamba	Manjhanpur	1	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Shahjahanpur	Shahjahanpur	10	7	3	3	0	0	0	4	6
		Tilhar	1	0	0	1	1	1	1	0	1
		Barcilly	11	2	5	4	0	4	1	10	1
14	Barcilly	Faridpur	1	0	0	0	1	1	0	1	1
		Baheri	1	0	0	0	1	1	0	1	1
		Aonla	1	0	0	0	1	1	0	0	1
15	Budaun	Budaun	3	0	3	0	0	0	0	0	3
		Sahaswan	1	0	0	0	1	1	0	1	1
		Ujhani	1	0	0	0	1	1	0	1	1
		Pilibhit	2	0	1	1	0	1	0	2	2
16	Pilibhit	Pilibhit	1	0	0	0	1	1	0	1	1
		Bisaulpur	3	0	2	1	0	1	0	3	3
		Orai	1	0	0	0	1	1	0	1	1
17	Jalaun	Jalaun	1	0	0	0	1	1	0	1	1
		Konch	1	0	0	0	1	1	0	1	1
		Kalpi	12	9	3	3	0	0	2	10	1
18	Jhansi	Jhansi	1	0	0	0	1	1	0	1	1
19	Lalitpur	Lalitpur	2	0	1	1	3	0	1	1	2
20	Hamirpur	Rath	2	0	2	0	0	0	0	2	2
21	Mahoba	Mahoba	2	0	1	1	1	1	0	2	2
22	Banda	Banda	2	0	1	1	0	0	1	0	2
23	Chitrakoot	Chitrakoot	1	0	1	0	0	0	0	1	0
24	Sultanpur	Sultanpur	2	0	2	0	2	0	0	0	2
		Ambedkarnagar	2	0	1	1	0	1	0	2	2
25	Ambedkarnagar	Tanda including Jalsipur	2	0	2	0	0	0	0	0	2
26	Faizabad	Faizabad	5	0	4	1	1	1	0	5	1
27	Barabanki	Ayadhya	1	0	1	0	0	0	0	1	1
28	Amethi	Navabganj	1	0	1	0	0	0	0	1	1
		Amethi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
											2

S.No.	Name of Districts	Name of City	Health Facilities						Govt/Rented UPHCs
			Total UPHCs approved upto 2014-15	Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved in 2013-14	New UPHCs approved in 2014-15	Total New UPHC	
28	Gonda	Gonda	2	0	2	0	0	0	2
29	Balranch	Balranch	2	0	1	1	0	1	1
31	Balrampur	Balrampur	1	0	1	0	0	0	1
32	Shrawasti	Shrawasti	0	0	0	-	0	0	0
33	Ballia	Ballia	2	0	1	1	0	1	0
34	Azamgarh	Azamgarh	2	0	1	1	1	1	1
35	Mau	Mithorapur	1	0	2	0	0	0	1
36	Gorakhpur	Maharajganj	4	0	2	1	1	2	0
37	Deoria	Deoria	23	15	8	0	0	0	23
38	Kushinagar	Deoria	3	0	3	0	0	0	3
39	Maharajganj	Padrauna	1	0	1	0	0	0	1
40	Basti	Maharajganj	1	0	1	0	0	0	1
41	Siddharthnagar	Basti	2	0	2	0	0	0	2
42	Sant Kabir Nagar	Siddharthnagar	1	0	1	0	0	0	1
43	Kanpur Nagar	Khalibhad	2	0	2	0	0	0	2
44	Kanpur Dehat	Kanpur	42	11	13	15	3	18	10
45	Kannauj	Kanpur Dehat	0	0	0	0	0	0	0
46	Etawah	Kannauj	2	0	2	0	0	0	2
47	Auraiya	Chitravanu	1	0	1	0	0	0	1
48	Farrukhabad	Etawah	6	0	6	0	0	0	6
49	Ludhnow	Auraiya	1	0	1	0	0	0	1
50	Khuli	Ludhnow	4	0	2	1	1	2	0
51	Hardoi	Ludhnow	52	11	26	12	3	15	20
52	Rae Bareilly	Lakhimpur	3	0	2	1	0	1	0
53	Shajapur	Hardoi	1	0	0	1	1	1	0
54	Unao	Shahabad	3	0	1	1	1	2	0
55	Ghazibabad	Sambha	1	0	0	1	1	1	0
56	GB Nagar	Rae Bareilly	3	0	1	1	1	2	0
57	Misery	Shajapur	1	0	0	1	1	1	0
58	Meerut	Laharpur	1	0	0	0	1	1	0
59	Baghpat	Mahmudabad	1	0	0	1	1	2	0
60	Budaudkhanur	Unao	3	0	2	0	0	0	3
61	Gangajhat	Unao	2	0	2	1	0	0	2
62	Ghazibabad	Gangajhat	26	9	10	6	1	7	6
63	Khona	Khona	3	0	0	1	2	3	0
64	Modinagar	Khona	2	0	0	1	1	2	0
65	Muradnagar	Modinagar	1	0	0	0	1	1	0
66	Noida	Noida	7	0	1	5	1	6	2
67	Greater Noida	Dofri	2	0	0	1	1	2	0
68	Masana	Masana	1	0	0	1	1	1	0
69	Bagpat	Meerut	24	8	11	5	0	5	7
70	Bulandshahr	Saranans	1	0	0	1	1	1	0
71	Khujana	Bagpat	4	0	4	0	0	0	4
72	Sikandrabad	Khujana	1	0	0	1	0	1	0
73	Sikandrabad	Sikandrabad	1	0	0	1	1	1	0

S.No.	Name of Districts	Name of City	Total UPHCs approved upto 2014-15		Urban Health Posts upgraded as UPHCs		Health Facilities			Govt/Rented UPHCs	
			Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved in 2013-14	New UPHCs approved in 2014-15	Total New UPHC	No of Govt. Building	No of Rented Building		
00	Hapur	Jahangirabad	1	0	0			1	1	0	1
		Gulaohi	1	0	0			1	1	0	1
		Hapur	2	0	0	1		2	0	2	
01	Saharanpur	Pilkhuwa	1	0	0			1	1	0	1
		Saharanpur	17	9	8			0	0	6	11
		Deeband	1	0	0			1	1	0	1
		Gangoh	1	0	0			1	1	0	1
		Muzaffarnagar	4	0	2	1		2	0	4	
02	Moradnagar	Khatauli	1	0	0			1	1	0	1
		Budhana	1	0	0			1	1	0	1
		Shamli	2	0	0	1		2	0	2	
03	Shamli	Kairana	1	0	0			1	1	0	1
		Nagina	1	0	0			1	1	0	1
		Bijsor	2	0	1	1		0	1	0	2
		Naibabad	1	0	0			1	1	0	1
		Chandpur	1	0	0			1	1	0	1
04	Bijnor	Sherkot	1	0	0			1	1	0	1
		Kiratpur	1	0	0			1	1	0	1
		Soohara	1	0	0			1	1	0	1
		Dhanpur	1	0	0			1	1	0	1
		Moradabad	26	13	13			0	0	3	23
05	Moradabad	Rampur	6	3	1	1		1	2	1	5
		Amroha	4	0	2	1		2	0	4	
		Hasnagar	1	0	1			0	0	1	0
07	J.P Nagar	Gairuwa	1	0	0			1	1	0	1
		Chandausi	2	0	0	1		1	2	0	2
		Sambhal	2	0	0	1		1	2	0	2
08	Sambhal	Mirzapur	3	0	1	1		1	2	0	3
		Bhadoli	1	0	1			0	0	1	0
		Sonbadra	1	0	1			0	0	1	0
71	Sonbadra	Varanasi	24	15	9			0	0	2	22
		Chandauli	2	0	0	1		1	2	0	2
74	Ghazipur	Mughalsarai	2	0	2			0	0	0	2
		Ghazipur	2	0	1			1	2	0	2
75	Jaunpur	Jaunpur	3	0	1	1		1	2	0	3
			555	147	231	100	77	177	93	463	

भयन का चिन्सीकरण

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भयनों के चिन्सीकरण के लिए निम्न विन्दुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है:

- भयन विहित करते समय यह ध्यान दिया जाय कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा लगभग 50,000 की शहरी जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित की जा सके। यह केन्द्र नगिन वरिष्ठों में या उनके करीब हो जिससे आस-पास में रहने वाली गरीब जनता को उसके घर के समीप स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें।
- भयनों में ऑपीओपीओ, टीकाकरण एवं कार्डिनलिंग, इण्डोर वार्ड (1-2 बेड), औषधि स्टोर/वितरण कक्ष, रेफरेंसलॉजी जॉच कक्ष, कार्यालय कक्ष, प्रसव कक्ष, नर्सिंग/एनएनएनएन इयूटी कक्ष, माइजर ऑपीओ, रोगी प्रतीक्षा कक्ष तथा स्टाफ एवं रोगियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था हो।

प्रथम पक्ष: मरना स्वामी/ मरना स्वामिनी का नाम..... पूरा पता.....

जनपद..... माहसीर.....

सूत्र

द्वितीय पक्ष: शिवा स्वाम्य स्वामिनि/ मुख्य विधिवरता अधिकारी, संयोजक, शिवा स्वाम्य स्वामिनि.....
पता..... तिला..... राहसीर.....

हम उनय पक्ष एतद् द्वारा परस्पर बरन देते, विषयसे दिसवते और प्रतीक्षा करते है कि यह और उसके
बारिसन नीचे लिखे प्रतिपत्तियों एवं गांठा पुरात-पावन कर्षणों और पावन करने के लिए वैधानिक रूप से
चाय रहेंगे-

1. यह कि प्रथम पक्ष मरना संछा..... उत्तरीर..... जनपद.....
राय..... का स्वामी/ स्वामिनी है तथा प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त मरना का
प्रथम उत्तर/द्वितीय उत्तर का विनाक..... से दिनांक..... तक युक्त
मार्ग के लिए द्वितीय पक्ष को नगरीय प्रारंभिक स्वाम्य केन्द्र संसाहित करने हेतु किराये पर दिये
जाने हेतु सहमत है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को मरना के किराये के रूप में रु०..... प्रति वर्ग फीट
की दर से रु०..... प्रति माह अदा किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त मरना का किराया प्रथम पक्ष के द्वारा मरना किराये का बिल प्रस्तुत किये
जाने के प्रत्येक 10 कार्यदिनों में भुगतान कर देगा। मरद भुगतान किसी भी परिस्थिति में देय
नहीं होगा। द्वितीय पक्ष किराया अदा करने के उपरान्त प्रत्येक माह किराये की रसीद प्रथम पक्ष से
प्राप्त करेगा। किराये की रसीद प्रथम पक्ष देने हेतु सहमत होगा तथा उसको द्वितीय पक्ष अपने
रिकार्ड हेतु सुरक्षित रहेगा।
4. यह कि मरना में पानी, सींचाव, बबरन, विद्युत वायुरिया एवं फिटिंग की व्यवस्था प्रथम पक्ष (मरना
स्वामी) द्वारा की जायेगी।
5. यह कि उक्त किराये के मरना में जो भी बिलों का खर्च होगा उसका बिल द्वितीय पक्ष द्वारा देय
होगा। विधिवरता उपकरण एवं प्रभार-प्रकार सामग्री हेतु विजली मीटर की लोक मरना बनाने की
अवश्यकता करने पर जो कनेक्शन द्वितीय पक्ष के नाम होगा इसका सारा व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा
किया जायेगा। इससे प्रथम पक्ष को कोई अपरिचित नहीं होगी तथा विजली मीटर लेने हेतु प्रथम पक्ष
अनुमति प्रमाण पत्र देने हेतु सहमत होगा।
6. यह कि मरना की पुनर्मा, रंगई, टूट फूट मरम्मत, प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
7. यह कि द्वितीय पक्ष किराये वाले मरना के हिले के सब-रखावटीक प्रकार से करेगा तथा अपनी
सहमति से यदि द्वितीय पक्ष मरना में कोई मोर्द-मोर्द या निर्माण करेगा है, तो उसकी विधिवरता की
विनोदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा मरना का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तथा अन्य निर्धारित टैक्स अदा किये
जायेंगे।

9. यह कि प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय 03 महीने का नोटिस देकर भवन छाती फलदा/ विद्या जा सकता है।
 - 10 यह कि द्वितीय पक्ष भवन को विकिरणक्षय के रूप में साइड-वर्कवा करने हेतु प्रथम-प्रकार सामग्री का उपयोग कर सकता इससे प्रथम पक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं होगी।
 - 11 यह कि द्वितीय पक्ष अनुसूच्य पत्र को मूल प्रति रजदना विस्तक अनुसार पर दिखावा मुताबत प्रतिया की चाहेगी।
 - 12 यह कि अनुसूच्य..... माह के दिना है, यदि पत्रय पक्ष पत्रा किन्तयनगी को अनं भदना चाहेते है तो दोनों पक्षों की आपत्ती सहमतियों से करे और जारी रखा जा सकता है।
 - 13 यह कि यह नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के उपनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग योजना के अन्तर्गत समर्थित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा योजना बन कर अनं भदन हेतु विचार बन करत इत्यादि की स्थिति में नोटिस देने उपयुक्त भवन विस्त कर दिया जायेगा।
 - 14 उत्तरवात के मन में विचार के भवन के सारथ्य में सभी प्रकारों में अनिर्दिष्ट अधिकार विस्तार स्वास्थ्य संस्थिति में निहित होगा।
 - 15 यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थ (Arbitrator) जनपद के विस्तार अधिकारी/अध्यक्ष, विस्तार स्वास्थ्य संस्थिति होंगे।
 - 16 यह कि यदि विवाद की स्थिति में (Arbitrator) के नियम से कोई भी साइडवा नहीं है तो जनपद..... न्यायालय में इस्तारा क्षेत्रीकरण होगा।
- विस्तारा यह विस्तारा अनुसूच्य पत्र अन्तर्गत दिनांक को संपन्न न्यायालय विस्तारा दिनांक तथा पदव्यक्त, मुन-समस्तदात अनं-अनं इस्तारात बनते तानि सारत रहे और तबत पर काम आने।

जनपद / राशर

दिनांक

न्यायालय

इस्तारात प्रथम पक्ष
भवन संस्थिति

1 भवन / पूरा पत्रा / इस्तारात

इस्तारात द्वितीय पक्ष
(संयुक्त, विस्तार स्वास्थ्य संस्थिति)
(पुनर्वा विकिरण अधिकारी)

2 भवन / पूरा पत्रा / इस्तारात

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर संविदा मानव संसाधन-

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मानव संसाधन के रूप में फुल टाइम एमबीबीएस चिकित्सक (संविदा/नियमित), पार्ट टाइम एमबीबीएस चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफनर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ स्वीकृत हैं।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु संविदा मानव संसाधन की स्वीकृति निम्न जनपदवार फॉट के अनुसार दी गयी है-

City & UPHC wise HR Position under NUHM FY 2015-16

S. No	Name of Districts	Name of City	Total UPHCs	Sanctioned Post						
				No. of UPHCs	Full time MO	Part time MO	Staff Nurse	Pharmacist	Lab Technician	Support Staff
1	Agra	Agra	09 UPHCs shifted from Urban RCH Upgraded as UPHCs	1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
			06 New UPHCs	1	1	2	1	1	3	
				1	1	2	1	1	3	
				1	1	2	1	1	3	
				1	1	2	1	1	3	
15 UPHCs by State budget upgraded as UPHCs	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
	1	0	1	0	1	1	3			
2	Mainpuri	Mainpuri	03 UPHCs shifted from Urban RCH Upgraded as UPHCs	1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
3	Mathura	Mathura	04 UPHCs shifted from Urban RCH Upgraded as UPHCs	1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
				1	1	1	2	1	1	1
	Mathura	Wrindavan Kosi Kalan	02 New UPHCs	1	1	1	2	1	1	3
				1	1	1	2	1	1	3
				1	1	1	2	1	1	3
	Mathura	Wrindavan Kosi Kalan	01 New UPHC	1	1	1	2	1	1	3
				1	1	1	2	1	1	3
				1	1	1	2	1	1	3
	Mathura	Wrindavan Kosi Kalan	01 New UPHC	1	1	1	2	1	1	3
				1	1	1	2	1	1	3
				1	1	1	2	1	1	3